



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-43

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276518 दिनांक 07/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sunita Bai Meena W/o SURESH CHAND MEENA	श्री रूपराम मीणा पुत्र छितर मल मीणा	48	232.08 SQ. YARD	Private	ORIENTAL BANK STAFF COLONY Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ऑरियन्टल बैंक स्टाफ कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 48 क्षेत्रफल 238.08 वर्ग गज पर फ्री होल्ड पट्टा श्री रूपराम मीणा पुत्र छितर मल मीणा को दिनांक 25.05.2024 को जारी किया गया। श्री रूपराम मीणा पुत्र छितर मल मीणा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 05.09.2024 को श्रीमती ममता मीणा पत्नी रमेश चन्द मीणा को कर दिया गया है। तत्पश्चात् श्रीमती ममता मीणा पत्नी श्री रमेश चन्द मीणा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्र के द्वारा  
उक्त भूखण्ड का  
बेचान दिनांक  
31.07.2025 को  
श्रीमती सुनीता  
बाई मीना पत्नी  
श्री सुरेश चन्द  
मीना को कर  
दिया गया।  
श्रीमती सुनीता  
बाई मीना पत्नी  
श्री सुरेश चन्द  
मीना द्वारा नाम  
हस्तानांतरण हेतु  
प्रस्तुत आवेदन  
प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sunita Bai Meena W/o SURESH CHAND MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिर्याँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |